

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.19(05)न्याय/2011

जयपुर, दिनांक : 23.02.2022

--:आज्ञा:-

माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंषा पर माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2023 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक पं. 1 (6) वित्त/रूल्स/1998 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	केडर	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
01.	RAJENDRA SINGH CHOUDHARY	DJ	12/04/1963	30/04/2023
02.	SUDHIR PAREEK	DJ	25/07/1963	31/07/2023
03.	JHUMAR LAL CHOUHAN	DJ	25/06/1963	30/06/2023
04.	RAJ VYAS	DJ	10/07/1963	31/07/2023
05.	SHIV KUMAR SHARMA	DJ	09/12/1963	31/12/2023
06.	INDU PAREEK	DJ	15/06/1963	31/06/2023
07.	BUDHI PRAKASH CHHANGANI	DJ	20/04/1963	30/04/2023
08.	MANOJ KUMAR SAHARIYA	DJ	24/02/1963	28/02/2023
09.	RAMA SHANKER VERMA	DJ	21/07/1963	31/07/2023
10.	DHIRENDRA SINGH RAJAWAT	DJ	13/05/1963	31/05/2023
11.	RAJENDRA KUMAR BANSAL	DJ	10/06/1963	30/06/2023
12.	MAHENDRA KUMAR MEHTA	DJ	16/07/1963	31/07/2023
13.	GAJENDRA PAL MOGHA	DJ	28/06/1963	31/06/2023
14.	SURESH PRAKASH BHATT	DJ	13/05/1963	31/05/2023
15.	ZAMIR HUSSAIN SAYED	DJ	15/12/1963	31/12/2023
16.	BALDEV RAJ BENIWAL	DJ	16/05/1963	31/05/2023
17.	RAM CHARAN MEENA	DJ	13/12/1963	31/12/2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

23.2.22  
(प्रवीर मटनागर)  
प्रमुख शासन सचिव